


फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

गणेश बनाम श्रीकरलाल

किस्म मुकदमा- पत्थरगढ़ी नं. 176/24 सन् 202.

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख की तामील में जारी हुए
22/12/24	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>नहलाइ सिंह</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत मय नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस के प्रस्तुत किया जो बाद जांच पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया गया</p> <p>सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा <u>वितरडा</u> पटवार मण्डल <u>नेगाडिया</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ... <u>57518</u></p> <p>रकबा <u>1.5700</u> हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह नहीं है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ोसी हैं प्रार्थी और विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया, बहस सुनी गई। प्रार्थी जैर बहस आराजी का खातेदार होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः तहसीलदार डूंगला को <u>1000</u> - अक्षरे <u>एक</u> हजार रुपये फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काश्त में दखल दिये मौजा <u>वितरडा</u> पटवार मण्डल <u>नेगाडिया</u> तहसील डूंगला की आराजी नम्बर <u>57518</u></p> <p>रकबा <u>1.5700</u> है0/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी मुकममल तौर पर की जावें।</p> <p>पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक <u>06.03.25</u> तक न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली हो।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी  
डूंगला



पूर्ण शक्तियों  
द्वारा प्रमाणित होने पर वाज्ज से क्रय करने पर  
य द्वारा अभिलेखित नहीं की गयी है। किन्तु  
लेना (सा. नि. वि. प्राधिकारी से उचित  
10000/- प्रति  
अल्पों के अतिरिक्त अन्य मुकदमाओं से  
री, प्राप्त कर  
20000/-  
प्रत्येक मामले में  
3000/-

सर्वे क्षेत्र  
आदि शामिल है  
1/अधिकृत डील पूर्ण शक्तियों  
नियम 225(4) प्रत्येक मामले में  
स्थिति में निजी 10000/- रूप  
15.2.2016) प्रत्येक मामले में

प्रायक्त की दर (कर  
नी कर स्कीम):-  
शून्य  
10 लाख तक 5%  
100 लाख तक 20%  
बिचक 30%  
ग वर्ष 2025-26 से  
करदाता जिनकी शुद्ध  
धिकतम 12500 रु.  
राता जिनकी वार्षिक  
र छूट या देय कर की  
Health and Educa  
को को पारिश्रमि  
नांक 01.04.20  
पारिश्रमि  
(प्रति  
16,  
18,  
24,  
33,  
36,  
16  
वारी)  
20  
24  
क 14.3.2  
दरें  
क 01.01.  
प्रति  
2  
2  
3  
3  
13.12.  
नी प  
-9  
10  
11  
12  
3  
4  
5